

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 15.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-10 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को० नगर पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामलोटन पुत्र हीरालाल नि० टेपरहन पुरवा ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-147/21, 02. सुरेन्द्र पुत्र जोखन नि० टेपरहन पुरवा ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-148/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामू सोनकर पुत्र स्व० जयकरन नि० ग्राम सिसईजंगल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-240/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रमेश सिंह उर्फ टल्लू पुत्र बुधेराज सिंह नि० ग्राम अतरसुईया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-332/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अजीत कुमार मिश्रा पुत्र पुल्लन मिश्रा नि० ग्राम परसौना मिश्रनपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-315/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मीना सोनकर पत्नी स्व० बड़कऊ सोनकर निवासिनी ग्राम भटपुरवा बनवरिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-725/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 02. ननका देवी पत्नी स्व०गमलू नि० खैरी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-726/21, 03. ददू पुत्र स्व० रामदास नि० मोकलपुर खास थाना को० नगर जनपद गोण्डा

के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-728/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रमेश सिंह उर्फ टल्लू पुत्र बुद्धेराज सिंह नि० अतरसुईया थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-332/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2021

01 किलो0 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मुकेश उर्फ राममणि तिवारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो0 100 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मुकेश उर्फ राममणि तिवारी पुत्र भीम तिवारी निवासी ग्राम पोखरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—182/21, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो0 100 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 राकेश सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.09.2021

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त धनीराम चौरसिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 80 अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. धनीराम चौरसिया पुत्र सालिकराम चौरसिया निवासी ग्राम जयरामपुर कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-183/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. अल्प्राजोलम की 80 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय टीम।

